A 4/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 45 / 2022
GCMS Case No. 2022 / 165

सायल :–	बनाम	गैरसायलः–
सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक पाली		भाणाराम पुत्र मोहनराम जाति चौकीदार निवासी चौकीदारों का बास पाली पुलिस थाना ट्रान्सपोर्ट नगर पाली जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से अभियोजक अधिकारी पाली

:: निर्णय ::

दिनांक :– 01/11/2022

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 25.07.2022 को गैरसायल भाणाराम पुत्र मोहनराम जाति चौकीदार निवासी चौकीदारों का बास पाली पुलिस थाना ट्रान्सपोर्ट नगर पाली जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा **2(ख)(5)**के अन्तर्गत परिवाद / सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना ट्रान्सपोर्ट नगर जिला पाली क्षैत्र का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2019 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में कुल 04 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। सभी प्रकरण जुआ एक्ट के तहत दर्ज हुए है। गैर सायल जुआ खेलने का आदी है तथा दुसरों को भी जुआ खेलने के लिए प्रेरित करता है। आमजन गैर सायल के खिलाफ पुलिस मे शिकायत करने से कतराते है। गैर सायल किसी आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार होने के उपरान्त न्यायालय से जमानत पर छुटने पर यह अपराध करना एवं अन्य लोगों को भी अपराध करने के लिए प्रेरित करता है गैर सायल के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	पुलिस थाना	मु0न0 / दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर नतीजा पुलिस	नाम न्यायालय
1	ट्रांसपोर्ट नगर	39 / 03.03.2019	13 आरपीजीओ एक्ट	21 / 19.03. 2019	श्रीमान एसीजेएम(पी) पाली द्वारा दिनांक 29.08.2019 को 100–100 रूपये जुर्माना
2	ट्रांसपोर्ट नगर	123 / 26.08.2019	13 आरपीजीओ एक्ट	65 / 31.08. 2019	श्रीमान एसीजेएम(पी) पाली द्वारा दिनांक 15.10.2019 को 100–100 रूपये जुर्माना
3	ट्रांसपोर्ट नगर	176 / 24.11.2020	13 आरपीजीओ एक्ट	114 / 30.11.20	न्यायालय जैर ट्रायल
4	ट्रांसपोर्ट नगर	04 / 11.01.2022	13 आरपीजीओ एक्ट	03 / 29.01. 2022	न्यायालय जैर ट्रायल

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित होती है कि गैरसायल भाणाराम पुत्र मोहनराम जाति चौकीदार निवासी चौकीदारों का बास पाली पुलिस थाना ट्रान्सपोर्ट नगर पाली जिला पाली जुऐं के धन्धे में लिप्त है, एवं आलेदर्जे का बदमाश एवं जुआरी है जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

है। जिसके आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(5)राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

ए0पी0पी0 की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर जिला पाली का आदतन जुआरी है, जिसके विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली के प्रकरण संख्या 39/2019 में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2019 को आदेश पारित करते हुए 13 आरपीजीओ अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 200/– रूपये का जुर्माना से दण्डित किया गया इसी प्रकार माननीय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली के प्रकरण संख्या 123/2019 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2019 को आदेश पारित करते हुए 13 आरपीजीओ अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 400/– रूपये का जुर्माना से दण्डित किया गया सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तागासा एवं दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5)के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल भाणाराम पुत्र मोहनराम जाति चोकीदार निवासी चौकीदारों का बास पाली पुलिस थाना ट्रान्सपोर्ट नगर पाली जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत दो माह की अवधि के लिए पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना देवनगर पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 16/11/2021 से 60 दिन के लिये पुलिस थाना देवनगर पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में सप्ताह में एक बार अर्थात 60 दिन में 08 बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी देवनगर पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल भाणाराम इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली जिला पाली, गैरसायल भाणाराम को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना देवनगर पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी देवनगर पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी ट्रांसपोर्ट नगर पाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली जिला पाली एवं थानाधिकारी देवनगर पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर को भिजवाई जावे।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 01/11/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली